

प्रारूप-झ (संलग्नक-9)

अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2023/97640/MRB/MORADABAD/1539/CFO

दिनांक: 11-10-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **SILVER OAK ACADEMY** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **SANKER SAAI STATION ROAD BILARI, SANKER SAAI STATION ROAD BILARI, MORADABAD** तहसील - **BILARI** जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
SILVER OAK	3	0	10.05 mt.

तथा प्लॉट एरिया **8094 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **SILVER OAK ACADEMY** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण द्वारा दिनांक **15-10-2023** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **HEMANT SAHAI, silveroakacademy2011@gmail.com, 9412338165** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि एवा जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate)(एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **17-10-2023** से **16-10-2026** तक **3** वर्षों के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

Note : एफएसएसओ श्री मोहित कुमार द्वारा अपलोड मानचित्र/अभिलेखो तथा पूर्व में निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्रसंख्या: 2018/43501/एमडीडी/मुरादाबाद/491/जे0डी0/245 दिनांक: मई 01, 2018 का परीक्षण तथा स्थलीय निरीक्षण किया गया तो एफएसएसओ की संस्तुति आख्या के अनुसार यदि अभिलेखो तथा मानचित्र में कोई विचलन पाया जाता है तो निर्गत आख्या स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। विधुत व्यवस्थापन की जाँच विधुत सुरक्षा निदेशालय से करा लिया जाए जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी तथा अग्निशमन व्यवस्था को कार्यशील दशा में रखते हुए संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टॉफ उपलब्ध रखा जाए। भविष्य में यदि कोई निर्माण किया जाता है तो अग्निशमन विभाग से अनुमोदन वांछनीय होगा। उपरोक्तानुसार एफएसएसओ की संस्तुति आख्या के आधार पर निर्गत।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)
(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(KRISHNA KANT OJHA)

[FAD078289550F5D9B50FEA91CFAF11EFC241D0E9]

17-10-2023

निर्गत किये जाने का दिनांक : 17-10-2023
स्थान : MORADABAD